6 महीने के भीतर होने चाहिए। किन्तु सरकार ने गत वर्ष चुनाव को 6 महीने के लिए टाल दिया। चुनाव को टालने का कोई औचित्य नहीं था।

दिल्ली संघ शासित क्षेत्र है। यहां न निर्वाचित विधान सभा है और न निर्वाचित स्थानीय संस्थाओं को ही काम करने का अवसर दिया गया है। दिल्ली नगर निगम भंग किया जा चुका है। नई दिल्ली नगरपालिका को पूरी तरह सरकारी संस्था बना दिया गया है। दिल्ली की जनता अपना दुखड़ा कहां रोयें? किसके पास शिकायत ले कर जाएं?

मैं मांग करता हूं कि दिल्ली मेट्रोपोलिटन कौंसिल के चुनाव अविलम्ब कराये जायें। दिल्ली नगर निगम के चुनाव भी साथ ही होने चाहिए। यदि सरकार चुनावों को फिर से टालने का फैसला करती है तो यह दिल्ली निवासियों के साथ अन्याय है और लोकतन्त्र पर कुठाराघात होगा।

12.58½ hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE. DISAPPROVAL OF DELHI SIKH GURDWARAS (AMENDMENT) ORDINANCE AND DELHI SIKH GURDWARAS (AMENDMENT) BILL

SHRI R. L. P. VERMA (Kodarma): I beg to move:

"This House disapproves of the Delhi Sikh Gurdwaras (Amendment) Ordinance, 1981 (Ordinance No. 2 of 1981) promulgated by the President on the 21st January, 1981."

12.59 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the clock.

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Five Minutes past Fourteen of the Clock

[SHRI HARINATH MISRA *in the Chair*]

STATUTORY RESOLUTION RE. DISAPPROVAL OF DELHI SIKH GURDWARAS (AMNEDMENT) ORDINANCE AND DELHI SIKH GURDWARAS (AMENDMENT) BILL—*contd.*

MR. CHAIRMAN: Shri R. L. P. Verma.

श्री रोतलाल प्रसाद वर्मा: सभापति महोदय, दिल्ली सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 1981 जो आया है, यह न तो संवैधानिक है, न नियमानुकूल है और न ही उचित है। मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि इसके लिए जो आर्डिनेन्स लाया गया था, उस को ला कर सरकार द्वारा एक अनुचित लाभ उठाने का प्रयास किया गया है।

सिखइज्म की जो परम्परा है, उस परम्परा के अनुसार गुरु नानक जी, गुरु गोविन्द सिंह जी और बहुत से हमारे देश के दूसरे संतों ने इस पंथ को चलाया था।..

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: The Minister for Unparliamentary Affairs is disturbing the proceedings of the House.

MR. CHAIRMAN: 'Unparliamentary expressions' I have heard but 'unparliamentary Minister' I am hearing for the first time.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: 'Visham'—dangerous.

MR. CHAIRMAN: Or is it a tribute you are paying?

Mr. Verma.

श्री रोतलाल प्रसाद वर्मा: सभापति महोदय, इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बिल के द्वारा इस धार्मिक संस्था को राजनैतिक ढांचे के अन्दर लाने का दुष्प्रयास किया गया है। इस से सिख धर्म के अन्दर जो उस की पवित्रता है और जो उस का पवित्र उद्देश्य था देश की सेवा, राष्ट्र की रक्षा का, उस में एक भारी दलदल पैदा हो जाती है।

सभापति महोदय : आप ने प्रतिनिधित्व करना शुरु किया है सिख धर्मावलम्बियों का ?

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : आप जानते हैं कि इस देश के अन्दर एक अकाली दल है और उधर कांग्रेसी सिख हैं, उन्हें कांग्रेसी सिख कह सकते हैं, दूसरों को अकाली सिख कह सकते हैं और इस के अलावा निरंकारी सिख भी हैं। इस तरह से कई गुटों में वे है। जो पहले एक गुट था, वह अब सिखों के बहुत से गुटों में बंट गया है और इस तरह से कई गुटों में अगर सिख बंट जाएं, तो जो उन के गुरुओं ने उपदेश दिया था देश की सेवा करने के लिए, वह कहां पूरा होगा। उन गुरुओं ने इन सब लोगों को कच्छा, कड़ा, केश, कृपाण और कंघी, ये जितनी चीजें है, रखने को कहा था और अगर कानून के चक्कर में राजनैतिक धनचक्कर इस धर्म को खींचता है, तो यह संभावना है कि इस से कोई लाभ तो नहीं होने वाला है बल्कि हानि बहुत बड़ी होगी।

सभापति महोदय : "चक्कर" तो सुना था, मगर यह 'धनचक्कर" क्या है ?

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : 'धनचक्कर' और राजनीति और कूटनीति, उस को इस में मिला दीजिए, तो उस प्रकार से एक सही चित्र नहीं बन पाता है।

मैं यह समझता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार, यह स्पष्ट प्रावधान है कि जब कोई बहुत आवश्यकता हो जाए, कोई भयंकर समस्या पैदा हो जाए देश के अन्दर और कोई उपाय ही न रह जाए, तब तो हम अध्यादेश ला सकते है लेकिन दिल्ली गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के छः चुनाव पहले हो चुके हैं और ये छः चुनाव बिना किसी झंझट के, बिना किसी तकरार के और बिना किसी लड़ाई के बहुत शान्ति-पूर्ण ढंग से हुए थे, तो इस सातवें चुनाव में कौन सी ऐसी आफ़त आ गई थी कि यह अध्यादेश लाना पड़ा। पार्लियामेंट के सेशन के लिए हम को 9 जनवरी को समन मिल गया था और 16 फरवरी से वह चलना था। और उसके बीच में 21 जनवरी को इन्होंने राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी कराया। इस तरह से एक आदमी को उसमें लाने का प्रयास किया और उस आदमी को लाने का प्रयास किया जिसकी कि 1925 के गुरुद्वारा अधिनियम के बाद 1971 में जो गुरुद्वारा अधिनियम बना था जिसके प्रावधान के अनुसार क्वालिफिकेशन नहीं थी। 1971 में बने अधिनियम में योग्यता का प्रावधान है और वह धारा 16 (3) को इसके द्वारा अब समाप्त किया जा रहा है। इस धारा को अध्यादेश से समाप्त कर के एक ऐसे व्यक्ति को उसमें लाया गया है जिसका कि नाम सुना है कि जत्थेदार संतोखसिंह है। वह मास्टर तो नही हैं, टेलर मास्टर कहे जा सकते हैं। मास्टरी योग्यता उनके पास नही है। वह ज्ञानी भी नही है। मेरे दिल में अपने ज्ञानी जी के प्रति बहुत आदर है।

न मैं सिख हूं, न मैं अकाली हूं, न मैं निरंकारी हूं लेकिन जहां तक सिख धर्म की शुद्ध रखने का प्रश्न है, इसकी पवित्रता को अक्षुण्ण रखने का प्रश्न है, उस दृष्टि से मैं ज्ञानी जी और सिख धर्म के और लोगो का आदर करता हूं।

सभापति महोदय : ज्ञानी जी को उन सारे प्रश्नों का भी ज्ञान है।

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : जत्थेदार साहब ने आज तक अपनी वर्षगांठ नहीं मनाई होगी लेकिन 21–22 फरवरी को उन्होंने अपनी वर्षगांठ ताजमहल होटल में मनाई। मैं नहीं जानता कि पहले उन्होंने अपनी वर्षगांठ किसी अकबर होटल में या रणजीत होटल में मनाई हो। इस तरह से उन्होंने अपनी वर्षगांठ मनाई।

अगर किसी व्यक्ति विशेष को ही किसी संस्था में लाना है और उसके लिए यह सब कुछ करना है तो यह मंशा शुद्ध नहीं कही जा सकती । मैं कहता हूं कि धार्मिक स्थानों का यह राजनीतिकरण है । किसी व्यक्ति विशेष को कहीं इसलिए लाया जाए क्योंकि वह आपकी पार्टी का सदस्य है और उसका इस संस्था में होना जरूरी है तो यह राजनीतिकरण है ।

इसी तरह से पंजाब में भी 13 में से 12 सदस्य हो गये है । इस पर ऐसा लगता है कि वहां पर भी राजनीति है और राजनीतिक प्रभाव में वहां की समिति में भी लाने का प्रयास किया गया है । यहां भी जो चुनाव हुए, उसमें आपको बहुमत नहीं मिला । इसके लिए आपने राजनीतिक हंगामा किया और पुलिस को बिठा कर वहां एक आदमी को लाने का प्रयास किया ।

इस तरह से आप अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक स्थानों में राजनीति ला रहे है । वहां पर भी राजनीति लाने की आपकी भीतरी मंशा लगती है :

मैं तो सिख समाज से बिलोंग नहीं करता । लेकिन जहां तक मुझे सूचना मिली है, जिसकी कि आपस में बहुत चर्चा है कि वहां विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई है । 1925 में भी उन्होंने लगातार संघर्ष कर के यह बात मनवाई थी कि उनकी संस्थाओं में डेमोक्रेटिक ढंग से चुनाव हों । अकाली दल वालों ने इसके लिए संघर्ष किया था । उसमें यह रखा गया था कि ऐसे व्यक्ति उनकी धार्मिक संस्थाओं में आने चाहिएं जो सिख धर्म में विश्वास करते हों, उनके रीति-रिवाज को मानते हों । ऐसे ही व्यक्ति चुनाव लड़ कर आने चाहिए । वे किसी पार्टी वालों को नहीं चाहते थे । लेकिन आप पंजाब में 13 में से 12 को ले आये । यहां भी आप ऐसा ही चाहते थे लेकिन सुना है कि यहां आपके लोग नहीं आ सके । आप यहां भी चाहते थे कि सभी लोग आपके आ जाएं, आपका ही यहां भी कब्जा हो जाए ।

आपने मुसलमानों की संस्थाओं पर भी कब्जा करने का प्रयास किया । मुरादाबाद और अलीगढ़ में जो घटनाएं घटीं उनमें आपके हाथ साफ नहीं हैं । यह चीज खतरनाक है और आप अपने दामन में दाग लगाएंगे, यह अच्छा नहीं है ।

सभापति महोदय : दिल साफ है या नहीं, यह देखें ।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : दिल साफ होगा ताकि पार्टी वहां इनकी मजबूत हो जाए । इसके लिए इनका दिल बहुत साफ है । दूसरा मंशा नहीं है । उस ओर इनका ध्यान है । लेकिन सामाजिक हित का जहां तक प्रश्न है यह ठीक नहीं है । इनकी पार्टी के लिए तो यह श्रेयकर है, यह तो ठीक है । आप यह भी देखें कि निरंकारियों की समस्या सारे देश में है । वे भी सिख हैं । बाबा गुरबचन सिंह की हत्या की गई । अभी तक उसकी ठीक से जांच नहीं हो पाई है । इसको ले कर हंगामे, हड़ताल, धरने प्रदर्शन भी हुए है ।

श्री जी० एस० निहालसिंहवाला (संगरूर) : जिन की वकालत कर रहे है उन्होंने मारा है ।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : जांच तो करा लेते । इससे क्यों डरते हैं ? जो दोषी है उसको जेल भेजो, कड़ी सजा दो ।

सभापति महोदय : उसके बारे में आप पूरी तरह ब्रीफ्ड नहीं हैं ।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : मैं छोड़ देता हूं । समय भी कम है ।

[श्री रौतलाल प्रसाद वर्मा]

देश के हित में, सिख धर्म के हित में यह अच्छा होता कि इस बिल को वापिस ले कर कांस्टीट्यूशन में जो वर्तमान व्यवस्था है उसको बनाए रखा जाता। हमारे रूल्ज आफ बिजिनेस और कंडक्ट आफ बिजिनेस इन लोक सभा जो हैं उसके रूल 71 (1) और (2) में यह कहा गया है कि कोइ भी बिल आर्डिनेंस का स्थान लेने के लिए जब पेश किया जाए, तो उसके अन्दर कारणों और उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से लिखा जाए, स्पष्ट रूप से उसकी टिप्पणी दी जाए। लेकिन यहां यह नहीं बताया गया कि किन कारणों से आर्डिनेन्स इशू करना पड़ा, क्या अजेंसी थी। यह चीज इनके दल के लिए शायद श्रेयस्कर है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको स्वतंत्र रहने दे, राजनीतिक घुसपैठ न करें, लोकतांत्रिक ढंग से कमेटी को चुनाव करने दें। चूंकि आपका बहुमत है इसलिए यह बिल पास तो हो जाएगा और हो सकता है कि आपके दल के हित में यह चीज हो लेकिन यह देश हित में नहीं है, सिख धर्म के हित में नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको आप वापिस ले लें। ...

MR. CHAIRMAN: Resolution moved:

"This House disapproves of the Delhi Sikh Gurdwaras (Amendment) Ordinance, 1981 (Ordinance No. 2 of 1981) promulgated by the President on the 21st January, 1981."

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI ZAIL SINGH): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Delhi Sikh Gurdwaras Act, 1971, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

मेरे पहले जो रेजोल्यूशन पेश हुआ है उस में इसका विरोध किया गया है और कहा गया है कि इस संशोधन को न लाया जाए। दलील यह दी गई है कि इससे धार्मिक पवित्रता को हानि पहुंचेगी, नुक्सान होगा और राजनीतिक रंगत इस में आजाएगी। यह भी उन्होंने कहा है कि अध्यादेश जारी नहीं होना चाहिए था। मैं सभा पटल पर एक स्टेटमेंट रख चुका हूं कि हम को आर्डिनेन्स जारी करने की जरूरत क्यों महसूस हुई। दुबारा उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। जहां तक उनका खयाल है कि धार्मिक पवित्रता को इससे कुछ नुक्सान पहुंचेगा या राजनीति आएगी यह भी बेबुनियाद है। किसी ने उनको गलतफहमी में डाला है। यह बहुत साधारण सी तरमीम है। पहले इस में यह शर्तें थी कि इतनी क्वालिफिकेशन जिस के पास हो वही पदाधिकारी बन सकता है गुरुद्वारा प्रबन्धता बोर्ड का, दूसरा नहीं बन सकता है। कहीं भी किसी भी इलैक्टिड संस्था के लिए इस तरह की शर्त नही रखी गई है, न पार्लियामेंट के मैम्बर के लिए और न लैजिस्लेचर के मैम्बर के लिए और यहां तक कि राष्ट्रपति के लिए भी नही। दरहकीकत यह अनडेमोक्रेटिक स्टैप था और उस वक्त जो किया गलत किया। उसकी हम दुरुस्ती कर रहे हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि माननीय सदस्य शायद मेरा ख्याल है कि बिहार से ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने कहा कि मैं सिक्ख नहीं हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि बिहार जहां गुरु गोबिन्द सिंह का जन्म हुआ पटना साहब में उनको पूरा अधिकार है कि वह जो चाहें अपनी राय दें। उनको यह कहने की जरूरत नहीं है कि मैं सिख नहीं हूं।

सभापति महोदय : लेकिन बात कहें अक्ल की।

श्री जैल सिंह : और सिख मत में कोई ऐसी भिन्नता नहीं है जो इन्सान को इन्सान से तोडने की बातें करें।

सभापति महोदय : गुरु गोबिन्द सिंह जी का जन्म हुआ था पटना साहब में जिसका प्रतिनिधित्व माननीय रामावतार शास्त्री जी करते हैं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) पटना का प्रतिनिधित्व मैं करता हूं।

श्री बैल सिंह : कहेंगे आप कुछ यह मुझे मालूम है । लेकिन जब कहेंगे तब देखेंगे ।

माननीय सदस्य का जो एक भ्रम है कि किसी एक आदमी के लिए यह किया जा रहा है, यह उनकी ग़लतफ़हमी है । हमारे भारत में लिट्रेसी अभी तक 50 परसेंट भी नहीं पहुंची है और खासकर स्त्रियों में तो 40 परसेंट भी नहीं है । तो हम जो यह शर्त उड़ा रहे हैं ऐजूकेशनल क्वालिफ़िकेशन की अब कोई शर्त नहीं होगी इसका फ़ायदा सब के लिए होगा । 10, 40 परसेंट के बजाय सेंट परसेंट लोगों को यह अधिकार मिल जायगा । हम किसी एक आदमी को निशाना बना कर या उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए नहीं करते हैं । इस संशोधन के बाद बिल में किसी किस्म की रुकावट नहीं रहेगी, जितने भी दिल्ली गुरुद्वारा प्रबन्धक बोर्ड के मेम्बर हैं उनमें से जो भी चाहे इस पद के लिए यानी प्रेसीडेंट के लिए या और दूसरे पदों के लिए खड़ा हो सकता है, वह पदाधिकारी हो सकता है । इसलिए जो उनका भ्रम है वह मैं समझता हूं अब निकल जाना चाहिए ।

अभी समय नहीं आया रिजोल्यूशन वापस लेने का । जब समय आयेगा तो मैं कुछ और भी इस से प्रार्थना करूंगा, क्योंकि यह आदमी बहुत शरीफ हैं और उससे ऐसा लगता है कि वह थोड़ी सी गलती भी कर लें तो उसको सुधार लेंगे ।

हमारे गुरु चरण सिंह जी ने कहा था आप वकालत किसी और की करते हैं और हिमायत किसी और की करने आये हैं । तो मैंने समझा यह भी भूल है । लेकिन नहीं बहुत समझदारी है । उन्होंने यह समझा कि बात वह कीजिए जिसके सौ पहलू हों, कोई पहलू तो रहे बात बदलने को । तो पहलू बदलने का रह क्या है, जब समय आयेगा तो मैं फिर कहूंगा ।

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Delhi Sikh Gurdwaras Act, 1971, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

Now, Mr. Parulekar.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR (Ratnagiri): Mr. Chairman, Sir, first of all I am thankful to you for calling me early to speak.

I rise to support the Statutory Resolution and to oppose that Bill. I am opposing it not because of deletion of clause 3 but on some other grounds. In bringing this Bill, Government has shown total disrespect to Article 123 of the Constitution of India. Sir, if you have a copy of the original Bill, please see the original clause which Government now wants to delete. It says:

"No person shall be eligible for election as President or other Office-bearer of the Delhi Sikh Gurdwara Management Committee unless he is at least a Matriculate or has passed Higher Secondary Examination of any recognised University or Board."

I would have no objection for this deletion. But I do not understand the wisdom of the Government and the hon. Minister for Home Affairs as to why they want to delete the word 'Giani'. Had you retained the word 'Giani' there would be an opportunity for me to support this particular Bill. So, you want the 'Agiani' people to head this particular Board. My understanding of Hindi is very limited.

AN HON. MEMBER: 'Giani' is a degree qualification. (*Interruptions*).

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: There are so many 'Agyani' people. Fortunately I had an occasion today morning to go through the Hindi Dictionary. The meaning for the word given is not only a 'Graduate' but 'knowledgeable person' also. Therefore, in their wisdom, that is, those we have written that particular Dictionary, they have given the meaning as 'knowledge-

(Bapusaheb Parulekar.)

able person'. So, I take it that they do not want the knowledgeable persons.

MR. CHAIRMAN: I think the real translation of the word 'Giani' is a wise man.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: That is exactly what I say. You do not want wise men or it may be that in the year 1971 when the Bill was originally introduced, there were some 'Agianis' in Sikh community and within a period of 10 years, all have become 'Giani'. I would request the hon. Minister to clear my doubts on this particular issue. Within a period of 10 years all the people in the Sikh community, those who were 'Agiani' in 1971, have become 'Giani' in 1981. I would therefore request the hon. Home Minister kindly to enlighten me on this particular point.

Now kindly refer to the Statement of Objects and Reasons. It stated like this.

> "2. Following representations that imposing a minimum educational qualification in the Delhi Sikh Gurdwaras Act, 1971 was against the cardinal principles of Democracy...."

Sir, this reason has been given in the Statement of Objects and Reasons. I would like to bring to the notice of the hon. Home Minister a very important point. When this Bill was introduced in the year 1971 and it was debated then, one of the hon. Members of the Rajya Sabha, Mr. L. K. Advani, had given an amendment that this should be deleted. The hon. Home Minister must at least have gone through the debates and at that time, it was objected to by the Government on the ground of democracy because they said they had taken the opinions of the Board and they had taken the opinions of the Sikh people. At that time you opposed it. You said that it should be retained on the principle of democracy because the majority opinion of the Sikh community was to incorporate this particular Clause, that is, Clause 3. At that time, that was the definition of the word 'democracy'. But, now, you say that on the principle of democracy this word should be deleted because nowhere educational qualifications are prescribed in any law. That was the definition of democracy in the dynamic decade. Now, this is the democracy in 1981. May be the definition of democracy changes from year to year or Bill to Bill. Therefore, what I say is that this is not the real intention of....

AN HON. MEMBER: This is 'Giani' democracy.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: I charge the Government and the hon. Home Minister that the intention in bringing forward this Bill is ill-motivated, ill-intentioned and you want to clothe and camouflage the words 'bad intentions and ill-motives' by the word "democracy". So, it is amply clear. Just now the hon. Home Minister rightly said that if somebody wanted to contest for the Presidentship of India, the educational qualifications were not necessary. Sir, through you may I ask the hon. Home Minister as to where was the necessity in 1971 to consult all the Sikh while introducing this particular clause? In 1971, the Bill was piloted by the then Minister, I believe, Shri Pant, and he has gone on record saying that in formulating this Bill, the main approach of the Government was that the Sikh community of Delhi was consulted and their approval obtained towards the inclusion of that particular clause. Further, at that time, the Board consisted of eminent persons including judges, and all of them were consulted. It is on this basis that this particular clause came to be included. This is real democracy. I would like to ask the hon. Home Minister, whether while bringing this particular Bill, leave aside the ordinance, he consulted the Sikh community, the way they consulted in the year 1971. If not, why did they not consult them?

Then, this educational qualification is not very harsh. The annual income of Delhi Gurdwaras is Rs. 4 crores and the property has also to be

managed. The educational qualification is only for the President or other office bearers and not for ordinary members. Any Sikh, Giani or Agiani can be a member of the Board, but the qualifications were prescribed only for the office bearers and it was because of this particular backward.

Under these circumstances, I would like to request the hon. Minister for Home Affairs to tell us as to whether just as they had consulted the leaders of the Sikh community as to whether this clause should be included, this time also they consulted them. If so, who are these honourable persons? If not, why not?

Then, this is with reference to the merits of the Bill. As I said, the merit is not important. What hurts me and should hurt every hon. Member is the way in which this particular Bill has been brought before this House through this particular ordinance.

We have with us certain dates. The election of the President was to be held on 27th February, 1981 and this Ordinance was brought on 21st January, 1981. I would request the hon. Home Minister to enlighten the entire House whether the election was held in the month of February, and that election was held before the commencement of this particular session of the Parliament. Is it also a fact that the person who is elected does not possess the particular qualification? I will not make a positive statement; I would only ask for the information and from that we can draw our own conclusions. If that be so, is the statement or the allegation made by Shri R. L. P. Varma that you brought this ordinance only in order to favour a person who belongs to your party, who did not possess the necessary academic qualifications and in order to have the possession of the Gurdwara is correct or not. If that is so, is this not a misuse of the power and Article 123 of the Constitution? My grievance is about the way in which this Ordinance and this Bill have been brought.

I can very well appreciate, as the hon. Home Minister said, that he wanted that everyone should get an opportunity to be the Chairman or the President or the office bearer of this particular Gurdwara. Well. But why did you not wait till the session started? What was the objection in bringing the Bill straight in this House and what was the necessity of issuing the ordinance? From the statement which you have laid on the Table of the House and the statement which you made in this House, I am sorry, I was not in a position to get any answer to the question I have posed. Article 123 of the Constitution clearly lays down that in certain exceptional circumstances, the power can be used in issuing ordinances. And I believe that the hon. Home Minister has not only done a bad business; he has also very badly advised the Prime Minister and the entire Cabinet, and has wrongly and badly advised the President in bringing this particular Ordinance. No heavens were to fall on earth if the Ordinance had not been brought in. The Bill could have been brought in. The only answer is one to which I have already alluded that you wanted a particular person not possessing the necessary qualifications to be at the helm of this particular affairs, and his election was to be held in February i.e. before the commencement of the present session.

I made a reference to the opinion of the Sikh personalities, as was done in 1971. Now you say that under democratic principles, it is necssary that this should be removed. When did this wisdom dawn on you? From 1971 to 1981, nobody brought this to your notice; and in your wisdom—as you are a Giani Ji—you did not appreciate the particular lacuna in this particular legislation. So, what is the date, what is the minute, what is the second when this dawned upon you, viz. "This is undemocratic. This is against the cardinal principles of democracy. Therefore, I must do something for the Sikhs. An ordinary measure by way of legislation is totally insufficient. I must move the President and the Cabi-

net, and exercise powers under Article 123."?

Is this not a misuse? If this is a misuse, I submit that not only myself, not only the hon. Members of the Opposition, but all such persons, and all hon. Members who have taken oath in the name of the Constitution—Sir, they are supposed to respect each and every Article of the Constitution—should oppose this Bill, because it has been brought through an Ordinance. You take back your Bill. Let the Ordinance go, and you bring the Bill. Let us consider on merits whether the Bill is proper or not. The way you are doing things, you are laying down precedents—this is a mischief which you are doing. And I charge you that in order to do favouritism, you have introduced this Bill through the ordinance, through back-door—it is a black act—and I condemn it. And, therefore, I oppose this particular Bill; and I support the ordinance. (*Interruptions*) I correct myself Sir. I support the resolution.

AN HON. MEMBER: That portion should be expunged.

MR. CHAIRMAN: He has said so clearly.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: I have corrected myself. I hope the correction has gone on record.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: If they can correct themselves after ten years, why can't he correct now?

MR. CHAIRMAN: Maybe, after serious consideration for years they have changed their opinion... (*Interrup-*

Now Shrimati Brar.

श्रीमती गुरबिन्दर कौर ब्रार (फरीदकोट) : सभापति, महोदय, होम मिनिस्टर साहब जो देहली सिख गुरुद्वारा अमेंडमेंट बिल लाए हैं, मैं उस की स्पोर्ट में खड़ी हुई हूं । अभी हमारे मोअज्जिज कुलीग ने कहा था कि मैं आर्डिनेंस को स्पोर्ट करता हूं और फिर दो मिनट के बाद खड़े हो कर कहा कि मैं इस का विरोध करता हूं । (व्यवधान) बात यह है कि जो दिल की बात होती है वह सामने आ ही जाती है ।

आप ने जरूर कहा है कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, यह तो सब को पता है, ज्यादा डीटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि मैट्रीकुलेट, या हायर सेकेंडरी या ज्ञानी पास होना 1971 के देलही सिख गुरुद्वारा ऐक्ट के मुताबिक जरूरी है । मैं अपने कुलीग से कहती हूं, आप को शायद पता नहीं है कि हमारी जितनी रेलीजस संस्थाएं हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, यह मैं पंजाब की बात कर रही हूं, उनके अन्दर गुरुद्वारा के मैनेजमेंट बोर्ड में ज्यादातर जो लोग हैं, जरूरी नहीं है कि मैट्रीकुलेट हों । ज्यादा जरूरत जो हमें है अपनी रेलीजस बाडीज के ऊपर, वह है ईमानदारी की, इंटेग्रेशन की और डिवोशन की । पालिटिक्स से दूर रह कर जितना इन संस्थाओं में सुधार हो सके, उस की जरूरत है । हंसने की बात नहीं है क्योंकि आप इसको अच्छी तरह से जानते नहीं हैं । आप हंसते हैं तो हंसें लेकिन मुझे खुशी है कि आपको दिलचस्पी है सिख रेलिजस बाडीज में । मेरा कहने का मतलब यह था कि ये लोग ज्यादा पढ़े नहीं होते लेकिन उनको गुरुद्वारों का सुधार करने में रुचि होती है । इसके लिए पहले जो महन्त होते थे उनकी जिम्मेदारी थी । इसमें बड़े अकाली एजिटेशन्स हुए तो उनके लिए करना पड़ा गुरुद्वारा सुधार ऐक्ट के मुताबिक उनके हाथों में गुरुद्वारे दिए गए । इसमें बहुत से लोग अनपढ़ हैं लेकिन अनपढ़ का मतलब यह नहीं है कि वे बिल्कुल कुछ जानते ही नहीं, वे अपने मजहब के बारे में बहुत कुछ

जानते हैं । इसी तरह से कोई ज्ञानी सिर्फ डिग्री लेने से ही नहीं बन जाता है । जैसा कि आपने कहा कि 4 करोड़ का बजट है इसलिए इमानदारी का होना बहुत जरूरी है अचैर अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो । मैं आपसे भी आगे जाती हूं । जैसे पादरी लोग होते हैं वे बड़े पढ़े लिखे होते हैं, पी० एच० डी० बगैरह करते हैं और रेलिजस बार्डीज में अच्छे लेक्चर देते हैं, वे आलिम फाजिल होते हैं । मैं इस बात से सहमत हूं और मैं नहीं कहती कि खाली रेलिजस डिग्री लेने से ही इनसान काबिल बन जाता है । गुरुद्वारों के प्रेसीडेन्टशिप के लिए या मैनेजमेंट बोर्ड का मेम्बर बनने के लिए होम मिनिस्टर साहब जो अमेन्डमेंट 1971 के ऐक्ट में लाए हैं, मेरा ख्याल है उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है ।

आपने यह सवाल किया कि 1971 से 1981 तक उन्होंने क्यों नहीं सोचा तो ज्ञानी जो सिर्फ पिछले साल ही होम मिनिस्टर बने हैं । ये एक ग्रास रूट वर्कर हैं, गांव के रहने वाले हैं, इनको पता है कि गांव का आदमी अनपढ़ भी हो लेकिन यह देखना होगा कि उसको मजहबी चीजों में कितनी रूचि है और इसमें अगर हम बार लगाते हैं कि मैट्रीकुलेशन की डिग्री हो तो उसके क्या मायने हैं ? मैट्रीकुलेशन डिग्री लेकर कोई कितना आलिम फाजिल हो जाता है । इसलिए मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि आप इस बात पर ज्यादा जोर न दें ।

आप जानते हैं कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी का जो प्रेसीडेन्ट चुना जाता है उसके ऊपर भी कोई कानून लागू नहीं है कि कितना पढ़ा होना चाहिए । मैं समझती हूं कि सिख कौम पहले के मुकाबले अब काफी पढ़ाई करती जा रही है, उसने काफी तरक्की की है और आगे भी करेगी । लेकिन वहां पर ऐसी कोई चीज लागू नहीं है तो क्या वजह है दिल्ली सिख गुरुद्वारा में ऐसी चीज रखी जाए । इसलिए मेरा ख्याल है कि यह जो क्लाज है वह नहीं होनी चाहिए ।

दूसरी बात म यह कहना चाहती हूं कि अकाली पार्टी के अकेले मेम्बर इस हाउस में हैं वे भी आज यहां पर नहीं आये हैं । न तो हमें सुनने के लिए और न ही अपनी बात कहने के लिए यहां पर वे आए । कई दफा लोग यह समझते हैं कि सारे सिखों की जिम्मेदारी उन्हीं के सिर पर है । यहां पर कांग्रेसी जो हैं उनमें सिख नहीं हैं इसलिए पार्टी की जिम्मेदारी का कोई सवाल नहीं है लेकिन मैं एलेक्शंस में जाती हूं तो साफ कहती हूं कि मजहब दूसरी चीज है और पालिटिक्स दूसरी चीज है । मजहब और पालिटिक्स को इकट्ठा नहीं करना चाहिए । मैं तो दावे से कहती हूं, अगर मेरे अपोजिट कोई अकाली मेम्बर खड़ा हुआ है, कि उसको बोलो गुरुग्रंथ साहब के कुछ शब्द बोले और मैं भी बराबर बोलूं । इन लोगों के दिमाग के अन्दर यह बात आ गई है कि ये जो मजहबी पार्टीज हैं, वे ही मजहब की ठेकेदार हैं—यह गलत बात है ।

मैं, चेअरमैन साहब, आप की मार्फत ज्ञानी से एक बात कहना चाहती हूं—कुछ इस किस्म की बात होनी चाहिये कि जो मजहबी लोग सियासी पार्टीज में होते हैं, एम० पी० या एम० एल० ए० बनने की तरफ भी उन का झुकाव होता है यह नहीं होना चाहिये । एक तरफ उन को काम करना चाहिये । अगर वह एम० पी० या एम० एल० ए० बनना चाहते हैं तो बनें, फिर दूसरी तरफ उन को नहीं रहना चाहिये । इस चीज में आप को सुधार करना चाहिये । आप ने देखा होगा कि लोग इस को स्टैप बना

[श्रीमती गुरविन्दर कौर ब्रार]

कर, स्टेज बना कर पोलिटिक्स में आते हैं।

दिल्ली सिख गुरुद्वारे का बजट 4 करोड़ रुपये का है, मैं तो 3 करोड़ रुपये का समझती थी, लेकिन चेयरमैन साहब ने कहा कि 4 करोड़ का है। इसी तरह से अमृतसर में चढ़ावा चढ़ता है। सुबह ढाई बजे से "सुखनी साहब" का पाठ शुरू हो जाता है और रात 11–12 बजे तक चलता है। लोग बड़ी श्रद्धा से वहां आते हैं और आम लोग भी माथा टेकते वक्त एक रुपया चढ़ाते है। यह एक तरीका था—अच्छे काम के लिये धन इक्ट्ठा करने का। गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज, 10वी पादशाही, ने इसे शुरू किया था। जब जुल्म के खिलाफ मुकाबला होता था तो जो लोग दरबार में आते थे, 5 पैसे, 7 पैसे जिस से जो बनता था भेंट करता था और इस तरह से जो पैसा इक्ट्ठा होता था वह अच्छे काम मे खर्च किया जाता था। जो लोग वहां चढ़ावा चढ़ाते है, वे श्रद्धा से चढ़ाते है, तहेदिल से चढ़ाते है। लेकिन यह पैसा कहां जाता है ? यह पैसा वे लोग फिर पोलिटिक्स में खर्च करते हैं। इस बात को हम ज्यादा जानते हैं। जो लोग बम्बई या मद्रास से आते हैं, वे इन की सियासत से अच्छी तरह वाकिफ नही है।

मैं ज्यादा वक्त नही लेना चाहती लेकिन मुझे खुशी है कि होम मिनिस्टर साहब एक बहुत अच्छा अमेण्डमेंट लाये हैं और सब सिखों को मौका दिया है कि जो भी गुरुद्वारा सुधार के काम में आगे आना चाहे, वह आये और अपनी इन्टीग्रिटी और ईमानदारी के साथ काम करे। इस पैसे से कालिजिज और स्कूल्ज खुल सकते हैं। मुझे खुशी है कि यहां पर गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल खुला हुआ है जहां पर बच्चे बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं। इस तरह की दूसरी इंस्टीचूशन्ज खोली जा सकती हैं, अस्पताल बनाये जा सकते हैं, न कि आपस में लड़ते रहें, कभी कुछ करें, कभी कुछ करें।

मैं ज्ञानी जी को इस अमेण्डमेंट के लाने के लिये फिर से धन्यवाद देती हूं, और, चेअरमैन साहब, आप का भी धन्यवाद है, आप ने मुझे बोलने का मौका दिया।

MR CHAIRMAN: Shri Somnath Chatterjee.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): He seems to be getting inspiration when you are in the chair.

MR. CHAIRMAN: I would consider myself fortunate if all concerned get a little of inspiration.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur): Mr. Chairman, I would not have opposed this Bill, but for the partisan interests and the sinister design behind the Bill. It is becoming a matter of great concern—it has already become a matter of great concern—that this power of executive legislation is taken recourse to even in respect of ordinary routine matters; not for widening the rights of the people of this country, not for providing any urgent economic or social welfare measures.

Many hon. speakers in this House have expressed their dissatisfaction and anguish at the frequent recourse to the power to make Ordinances during the inter-session period. We have seen how the LIC Ordinance was issued; the Special Bearer Bonds scheme also was issued under an Ordinance. Even compensation to be paid to a Gurudwara Committee is also supposed to be regulated by an Ordi-

nance.' The object is so palpably partisan that one cannot but oppose the Bill itself, which is nothing but a follow-up action of the ordinance and which was promulgated to pre-empt a fuller and proper discussion in the highest legislative forum in this country. They have come before Parliament with a fait accompli knowing that they have the requisite support and whatever may be the proposal, they will get through it and they are trying to get our legislative blessing to some mischief already carried out, because the object has been achieved. Even if this Bill is not passed, that mischief cannot be cured retrospectively. Therefore, I submit that when Gianiji is talking of democracy so far as the Gurdwara Committee is concerned, the ordinance raj which this Government has introduced is the very antithesis of parliamentary system of Government. Therefore, I oppose this Bill also on a basic ground that Parliament it being taken for granted and that is not a healthy sign for democracy, whatever be the brand of democracy; it may be the K. C. Pant democracy of 1971 or Gianiji democracy of 1981. That is not proper. The reasons behind the ordinance and this Bill have been very pertinently pointed out by Shri Parulekar.

As I said, I would not have opposed it if there had not been a purpose which does not appear on the face of the Bill. If the intention was only to take away the restriction as to the qualification for candidature for the post of office-bearers of Gurdwaras, I would not have opposed it, because the Minister is absolutely right. There is no educational qualification provided for the higher post in this country or even for the membership of this House. Who are we to lay down and prescribe an educational qualification in respect of a committee, although it is a very powerful committee, having great financial resources, like Rs. 4 crores which can be spent by this committee; although it had to be done with a sense of responsibility and integrity? I quite understand that. When we do not have any educational qualification, why should we lay down standards of educational qualification for other bodies? These are not professional bodies. Professional managers have to have professional qualifications. But kindly see the timing of it. In 1971 it was very right In 1971, when the Bill for the parent Act was introduced, this provision was maintained irrespective of the opposition by a section of the Akali members, section of Akali opinion and Sikh opinion in this country. A specific amendment was brought in Parliament for deletion of this clause. But the then Government of the same hue, with the same political people and the same leader, insisted on maintaining this clause on the plea of maintaining a minimum standard in the management Gianiji was not the Home Minister from 1971 until 1980. I do not know whether we have been spared the House has been spared or the Gurdwaras have been spared or it is the misfortunate of this country that he was not there; I am not sure. But it is a Government Bill. Government is responsible for this (*Interruptions*).

SHRI H. K. L. BHAGAT (East Delhi): You were fortunate to have Mr. Charan Singh.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: If it is any comfort to Mr. Bhagat that Mr. Charan Singh was there for some time and he accelerated the process of their resurrection, he may get that satisfaction. Let us not go into that. The question is, from 1971 to 1977 the present ruling party was in power. Elections had been held then and nobody thought of doing away with the qualification. Suddenly when this 1981 election came, suddenly it became so urgent and so important for this country that the President had to take immediate action. Under article 123 of the Constitution, President can only act when there are certain circumstances requiring immediate action and if immediate action is not taken, the country will be in serious peril. Public interest will be in peril if immediate action is not taken. Now suddenly after 10 years immediate action became necessary and that must be by an ordinance. I know the hon. Minister will deny it. He has already

denied once that it was not for the sake of one individual. He has denied already that there is no party interest involved. But everybody cannot be fooled in this country. At least a large section of the citizens of this country who are actively connected with these organisations know why this is done. Because this is a law or executive legislation by way of an ordinance and now by way of a Bill, to give effect to a decision which has been taken, to give legislative sanction to an executive decision already taken to nominate a particular individual to a particular post. Once it has been decided that he should fill up that vacancy it appears that there is a lacuna because of the 1971 law passed by themselves. Now what is to be done? Parliament is not sitting. You do not have to bother for that. Pass an ordinance, give him qualification so that he can contest. Who can deny this in this country? Was not this ordinance passed to give qualification to a person who had been selected to fill up that post? If that was not done we would not have stood up to oppose this Bill. The processes of legislation and the functioning of this House are being utilised to help a particular individual to get elected to a particular office in this country. How long will personalities only count in the governance of this country. We have had our experiences.

We had seen how far for the sake of one person's election, the country was held to ransom: the law of the country was changed, the Constitution was changed. Now in a lesser degree, for a lesser individual, the Constitution was not required to be changed but the law was required to be changed by an ordinance. Therefore, on personality considerations, for one single individual if the law can be tempered with, if the constitutional powers of this Parliament can be pre-empted in this manner, then as it is, we are seeing the signs of authoritarianism and the future is not safe. The ordinance was not a bonafide one. And this is not a bona fide Bill. This is an attempt at cover attempt to interfere in the functioning of a religious institution which should be free from governmental intereference. They say that on the basis of it there is no intereference and they are only charging the law. But the qualification to contest an election is conferred on a person who is not otherwise competent, so that a political nominee can head this body with control over large funds.

15 hrs.

[Mr. Deputy Speaker in the Chair.]

Here, I am not on the question of the religious aspect—whether the religious ceremonies are being done or not, whether competent people are there at the moment. This is a matter beyond the domain of this law. We do not want to go into that. That is entirely the freedom of right of the community to regulate their own affairs. But this governmental interference in the form of Ordinance, a government nominee being foisted, this is what we object so, we think this is no a *bona-fide* piece of legislation. This is one of the crudest examples of how the Ordinance-making power can be abused, and it is dangerous to the parliamentary system of democracy which we have got. Therefore, if we did not like the Pant-form of democracy of 1971, this Giani-type of democracy is not good for the country either.

श्री जी० एस० निहालसिंहवाला (संगरूर) : यह जो 1971 का दिल्ली गुरुद्वारा एक्ट है इस में तरमीम करने वाला बिल है, यह बहुत ही सिम्पल बिल है । बहुत जोर से अपोजीशन वालों ने इस पर कई बातें कही हैं । मैं सिर्फ दो-चार बातें ही कहना चाहता हूं ।

एक वाहिद दिल्ली गुरुद्वारा एक्ट है । इस डैमोक्रेटिक सैट अप में उस में कई कंडीशंज लगी हुई हैं । मैं समझता हूं कि हर इंसान को जो डैमोक्रेसी में यकीन रखता है इस बिल का स्वागत करना चाहिये । एक डिसक्रिमिनेशन था दिल्ली के सिखों के साथ जो किया जा रहा था और उसको रिमूव किया जा रहा है । पंजाब में सिखों की सब से बड़ी संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्ध

कमेटी है । उसके प्रेजीडेंट श्री गुरचरण सिंह तोहरा हैं । तोहरा जी के पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी नहीं है । वह सिखों के सब से बड़े आफिस के प्रधान हैं । सिखों की दो अकाली पार्टीज बनी हुई हैं जो अपने आप को रिलिजस बाडीज कहते हैं । वैसे तो कोई भी सिख कहला सकता है जो सिखिज्म में विश्वास रखता है और गुरुओं में यकीन रखता है । लेकिन ये लोग अपने पालिटिक्स में सिखी ले आए हैं और क्लेम करते हैं कि वे सिख हैं, दूसरा कोई सिख नहीं है । आप खुद अन्दाजा लगा लें कि इस बार पंजाब में सिख कम्युनिटी ने 13 में से 12 कांग्रेसियों को चुन कर भेजा है और सिर्फ एक अकाली पार्टी का आया है । फिर भी वे क्लेम करते हैं कि हम सिखों के ठेकेदार हैं ।

एक और बात आप देखें । जब से हिन्दुस्तान आजाद हुआ है एक ही बार अकाली दल कम्युनिस्टों के साथ मिल कर, सी पी आई, सी पी एम और जनता पार्टी के साथ मिल कर सरकार बना पाया है और वह भी सिर्फ दो साल ही चली है और बाकी तीस साल उसकी सरकार नहीं बन सकी और वह कभी मैजोरिटी में नहीं आया । सिखों की जो बाडी है एस जी पी सी उस में कोई कंडीशन नहीं है, पार्लियामेंट के मैम्बर के लिए कोई नहीं है, चीफ मिनिस्टर के लिए कोई नहीं है, हिन्दुस्तान में बड़े से बड़े ओहदे के लिए कोई कंडीशन नहीं है लेकिन दिल्ली गुरुद्वारा जो एक बाई प्रोडक्ट है पंजाब का, यहां क्यों हो ? यहां कोई कंडीशन नहीं लगती है तो यहां क्यों लगे ? इसलिए इसको उड़ाने के लिए यह बिल लाया गया है और इसका सिखों को तथा बाकी सभी भारत के लोगों को स्वागत करना चाहिये ।

यह कहा जाता है कि सरकार दखल देती है । आप सुन कर हैरान होंगे चौधरी चरण सिंह के जमाने में दिल्ली के गुरुद्वारों के लिए इलैक्शन हुए थे 28 नवम्बर 1979 को और तब पंजाब के तमाम अकाली मिनिस्टर सरकारी गाड़ियों ले कर पंजाब हाउस में, कपूरथला हाउस में आ बैठे थे, सरकारी गाड़ियों का खुल कर इस्तेमाल किया गया था, लोगों को खरीदा गया था और दो मैम्बरों को किडनैप करके मसूरी ले गए थे और वहां उनको छिपा कर रख लिया था ।

एक बात आपकी जानकारी के लिये और कहना चाहता हूं कि जो अमेंडमेंट आया है, दिल्ली के जो गुरुद्वारा कमेटी के उस वक्त मेम्बर थे उन्होंने यूनानिमस रिजोल्यूशन किया था कि हमारे से यह कंडीशन उठायी जाय जो भी एजूकेशनल कंडीशन लगी हुई है । वह तमाम के तमाम मैम्बर अब संत लोंगोवाला के साथ हैं और गुरुचरण सिंह तोहरा के साथ हैं जो इस अमेंडमेंट को अपोज करते हैं ।

जनाबवाला, अकालियों की यह बात है कि 1967 में जब इनकी सरकार बनी तो इन्होंने अपर हाउस अबालिश कर दिया, और इधर उनके लीडर आ कर के पांव पकड़ रहे थे कि हमारे हाउस को रहने दो । तो मैं समझता हूं इनका यह पेशा है कि किसी न किसी तरह की गड़बड़ की जाय । और इनका अनहोली अलायंस कम्युनिस्टों के साथ है जो अकाली अपने को धर्म का ठेकेदार कहते हैं जब कि कम्युनिस्ट लोग धर्म को मानते नहीं हैं । लेकिन फिर भी यह लोग वकालत करेंगे अकालियों की । क्या दूसरे सिक्ख इनको बुरे लगते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय, यह तो अमेंडमेंट है यह बहुत जरूरी था, एक जो डिस्क्रिमिनेशन था उसको हमारे गृह मंत्री जी ने दूर कर दिया इसके लिये मैं उनको मुबारकबाद देता हूं ।

SHRI NARAYAN CHOUBEY (Midnapore): Sir, through you I oppose this Bill and I support this Resolution moved by Mr. Verma.

Just now I heard the speech of the Congress Member. We in Bengal have got very high regard for the Sikhs. The greatest of the poets in our literature, Tagore, said in honour of Sikhs and he extolled Guru Gobind Singh, he extolled the courage of the Sikhs who fought so much for the country and whose sacrifice in the struggle for independence is second to none. I understand that perhaps the lacunae which existed in 1971 should be abolished. Why should there be discrimination in the matter of imposing certain qualifications like that he should be a matriculate or a giani or an agiani to be elected to some post? But what we fail to understand is: Why this thing could not have been done in the ordinary way? Why, even for such a small thing you had to take recourse to Ordinance? This question remains unanswered. I do not think there there is any unholy alliance between Akalis and the CPI and the CPM and maybe that some Minister or somebody else kidnapped some persons to Mussoorie during the previous elections to the Delhi Gurudwaras. But that does not explain why you had taken recourse to ordinance and why common rules are not adopted in bringing this Bill.

Secondly, it smacks of something which is not correct. Why it smacks of something? As my friend, Mr. Somnath Chatterjee has said, kindly look to the timing. It was in the month of January 1981 this ordinance was brought and your Parliament was supposed to meet on the 16th of February. Why could not you wait?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Say, 'our Parliament'.

SHRI NARAYAN CHOUBEY: Our parliament including yours. It was to meet on 16th February. What sky would have fallen on the Gianiji's head or on the head of the Government that you could not wait for some days? You could have passed it through ordinary legislative procedure. Actually you had decided to fix a particular man to a particular post. If you want to do that you ought to change your rules and regulations. It is only for this reason that you have taken recourse to ordinance. Hence your speaking of democracy and other logical words and phrases do not sound so high. Had you been in the need of democracy you could have done it earlier. You should have done in 1971 when it was opposed by the entire opposition or you should have waited till the Parliament met But you did not do that. It smacks of something which is undemocratic and un-Constitutional. Hence I oppose this Bill and the Resolution moved by Shri Verma be passed. I say Gianiji is giani. It means:

अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनःशलाकया,
तत्पंद दर्शित येन तस्मै श्री गुरुवेनमः ॥

He is giani and he may withdraw it Had he withdrawn it and passed it by the common process, I would have supported it. It was not so important to bring in through an Ordinance. Pakistan would not have attacked. China would not have attacked. Nobody would have attacked us. Peace move between Iran and Iraq would not have been hampered. I oppose the Bill and support the Resolution moved by Shri Verma.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: One hour had been allotted and we have taken more than an hour.

MR DEPUTY-SPEAKER: As the time limit of one hour is over, the lady member may try to finish her speach in no time.

SHRIMATI SUKHBUNS KAUR (Gurdaspur): I rise to oppose the Resolution and support the amendment that has been proposed in the Delhi Sikh Gurdwara Act, 1971 i.e. to delete Section 16 which was of highly undemocratic character. Prior to the enactment of Delhi Sikh Gurdwara Act 1971, the historic gurdwaras of Delhi, the educational institutions and the associated associations were looked after by the Gurdwara Prabandak Committee. On unanimous demand of Delhi

by the Gurdwara Prabandhak Committee. On unanimous demand of Delhi Sikh public Parliament enacted this Delhi Sikh Gurdwara Act 1971. By virtue of it a statutory body was constituted. It now looks after the Gurdwaras and associated institutions. While enacting this Sikh Gurdwara Act, 1971 unprecedented provision was made in sub Section (3) of Section 16 which reads:

> "No person shall be eligible for the election as the President or other office bearer unless he is atleast a matriculate or has passed Higher Secondary Examination of a recognised university or board or is a giani or possesses any equivalent educational qualification".

This provision is novel in as much as that no educational qualification is proposed even for the highest office in this country for the President Prime Minister, Minister of the Government or even one of us. I think it is highly undemocratic that we should make such a provision for a sikh or religious body. It must also be accepted that no academic qualification should be a substitute or over-riding factor for elective or selective body of religious institution and also that no academic qualification should substitute human factor such as faith, service or sacrifice in sikhism or in the institution of sikhism. The gurdwaras in the State of Punjab are run by SGPC—a body which was established under the Punjab Gurdwara Act of 1925. Even in that Act, there is no such prescribed qualification. Even now the SGPC is looking after several important gurdwaras. One of the hon. members pointed out, for a budgest of Rs. 3 crores to manage, to look after it, we should have this qualification. I do not understand double standards we are talking about. If S.G.P.C. can manage a budget of Rs. 3 crores or Rs. 4 crores very well without this qualification, why not the Delhi Gurdwara Prabandhak Committee?

The issue today before us is, whether this amendment is right or wrong. I think, it is absolutely right because Parliament is now trying to rectify a lacuna which was there in the 1971 Act and it is removing it by deleting the same from the Act. I may also mention here that while we are debating about the Act which concerns Sikh religion and our Sikhs, the only Sikh member from the Akali Dal is not present to argue his case or to oppose it.

Some of the hon. Members from the Opposition have said that it has a political motive. I think, it is political in a way that they are advocating for them rather than we are saying something which is political or doing something that is political.

Another thing that I would like to mention is that several times it has been asked why it has been done, why this amendment has been brought here. I may mention, as one of our hon. members pointed out earlier, that a recommendation was made by all the members, a joint resolution was adopted in 1976, requesting the Government to amend this Act. Recently, in January, again, this recommendation was put forward to the Government and the Government has very wisely, I should say, and correctly taken this step and brought forward this amendment.

I congratulate the Government for that. I thank you for giving me an opportunity to speak.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Minister.

SHRI H. K. L. BHAGAT (East Delhi): Sir, I request that at least one member from Delhi should be given 2-3 minutes. I will take only 2-3 minutes.

MR. DEPUTY-SPEAKER: All right.

SHRI H. K. L. BHAGAT: Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am grateful to you for giving me 2-3 minutes to speak on this Bill.

I am glad that the C.P.M. members have shown, for whatever reasons, their concern for the Gurdwaras. I hope and pray that God will give them

[Shri H. K. L. Bhagat]

light and sense which they very much need.

As the hon lady member just now said, the question is, whether what is being done now is right or wrong. Basically, that is the point. My hon. friend belonging to Mr. Atal Bihari Vajpayee's party was saying that Mr. L. K. Advani at that time had said that the Congress was doing something wrong. What they had said at that time, Giani is saying now. Therefore, they must say the reverse. I do not know who has become a giani and who has become an a-giani.

Lastly, it is being said that this is being done out of political motives and I wish to say that this is absolutely wrong. Firstly, we have not selected any candidate nor can we select anyone, nor we depend on anyone, nor our party depends on any one person amongst the Sikhs of Delhi. The Sikhs of Delhi are much more capable than us much more knowing than us. They have made a tremendous contribution to Delhi. They can look after themselves, their Gurdwaras, much better than anyone of us.

I would tell all politicians, including the Congress-I politicians from Punjab, to keep their hands off Delhi and leave the matter to the Sikhs of Delhi. All of us, Mr. Atal Bihari Vajpayee and myself, let us keep our hands off and we are aware— I do not want even to say that—that the Sikhs of Delhi, in spite of anybody and despite anybody, one person or the other in Delhi, have been with us. They are interested in dividing them. We are not interested in dividing them. There is no question of any individual. Anyone can contest. This qualification is not applicable to any post in the country or anything like that. Even if we did something wrong, we are rectifying it. Let them support it and applaud it.

That is all I want to say.

गृह मंत्री (श्री बूटा सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि विरोध करने वाले मैम्बरों ने भी इस अमेंडमेंट का विरोध नहीं किया। वह कहते हैं, मानते हैं कि यह इन्नोसेंट है। वह यह भी मानते हैं कि अगर आर्डिनेंस न होता फिर हम सपोर्ट करते। अब जो बात हो गई वह तो हो गई कमान से तीर निकल जाता है जो जबान से लब्ज निकल जाता है वह वापस नहीं आता है। तो यह तो है, इस के मामले में मैं पहले अपना स्टेटमेंट दे चुका हूं, इसलिए इस के लिए तो मैं किसी बहस में नहीं पड़ता। लेकिन जो आनरेबल मेम्बर उस तरफ बैठे हैं उन्होंने इस अमेंडमेंट के साथ अपने कुछ विचार दे दिए। वह कहते हैं कि यह गलत डेमोक्रेसी है। दुनियां में कई तरह की डैमोक्रेसी के लोग हैं। हम किसी कम्यूनिस्ट मुल्क को यह नहीं कह सकते कि वह डैमोक्रेटिक नहीं है। वह भी कहते है कि हम डैमोक्रेटिक लोग हैं और अमेरिका जैसे मुल्क में जहां पर प्रेसीडेंट के अधिकार ज्यादा है वह भी कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक है, यू के वाले भी कहते है कि हम डेमोक्रेटिक हैं। डेमोक्रेसी की कई रूपरेखाएं हैं— आप जानते हैं फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट हो या दूसरा हो या एक आनरेबल मेम्बर ने एक बार कहा था कि लिस्ट होनी चाहिए, पार्टी का लिस्ट पर वोट पड़े नाम पर नहीं होना चाहिए, इस तरह से कई रूपरेखाएं हैं। लेकिन मेरे एक आनरेबल दोस्त ने कहा कि यह ज्ञानी डैमोक्रेसी जो है यह ठीक नहीं है। दरहकीकत यह मेरी तरफ इशारा था। खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से मैं ज्ञानी हूं, इस लिए मुझ से पूछा भी गया। आनरेबल मैम्बर बापू साहब ने पूछा कि ज्ञानी कौन है? तो ज्ञानी दो तरह के होते हैं। ज्ञान का मतलब है नौलेज, जो ज्ञानवान हो नौलेज बल परसन हो उस को ज्ञानी कहते हैं। लेकिन

विद्वानी, बुद्धिमानी, ज्ञानी और एम० ए० ये चार डिग्रियां पंजाबी में होती हैं। एम० ए० तक यह प्रचलित है और यह पाकिस्तान में भी पंजाबी के लिए लाहौर यूनिवर्सिटी में डिग्रियां दी जाती हैं। एक आनरेबल मैम्बर ने अमेंडमेंट दिया है कि ज्ञानी लब्ज रख लिया जाय। उनकी बात है बड़ी अच्छी और उनकी बात पर मैं हृदय से इत्तफाक भी करूं, मगर मैं उनकी अमेंडमेंट मंजूर नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने ज्ञानियों की तो बड़ी हिमायत कर दी, मैं उनकी हमदर्दी का मशकूर रहूंगा लेकिन अमेंडमेंट मैं मंजूर नहीं कर सकता।

पता नहीं भगवान की कुदरत का क्या खेल होगा, इस डेमोक्रेसी ने इंसान को कितना बदल दिया ? इतना बदल गया इंसान कि इस तरह बैठ जायें तो और बात करते हैं और उस तरफ बैठ जायं तो और बात करते हैं और सेम परसन इसी बदली हुई दुनियां में हमें विचरना है क्योंकि डैमोक्रेसी है। डैमोक्रेसी में कई बातें जहां बहुत अच्छी हैं वहां कुछ मुश्किलें भी पैदा होती हैं। अब आप मानिए—

आपस को जो भला कहावे।
तिसे भलाई निकट न आवे॥

धर्म के तौर पर देखा जाय तो सिख गुरुओं ने यह कहा है कि जो इंसान अपने आप को भला कहलवाता है उस के नजदीक भलाई नहीं आती। अपनी तारीफ सुनना अच्छी बात नहीं है, अपनी तारीफ करवाना अच्छी बात नहीं है और अपनी तारीफ खुद करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन आज कल के जमाने में खुद तो करें नहीं, दोस्तों से करवायें नहीं और विरोधी करते नहीं, तो एलेक्शन कैसे लड़ा जाय ?

हमारे कम्यूनिष्ट पार्टियों के आनरेबल मेम्बर्स ने बड़ा बुद्धिमानी का लेक्चर दिया और उस लेक्चर से मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं याद रखता हूं विद्वानों के लेक्चर तो याद रखना चाहिए और महापुरुषों का कहना है कि इन्सान को जितनी देर हो सके, बुद्धिमानों की संगति में रहना चाहिए। लेकिन मैं सी० पी० आई० के भूतपूर्व मेम्बर कामरेड भान सिंह भौरा के यह विचार जो 1971 में उन्होंने इस बिल के सम्बन्ध में इस सभा में प्रकट किए थे, आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा :

"इसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रेजिडेन्ट चुना जाएगा वह या तो मैट्रिकुलेट होना चाहिए या हायर सेकेन्डरी पास होना चाहिए। फर्ज कीजिए जो लोग चुने जाते हैं उन में से कोई भी मैट्रिकुलेट नहीं है। तो क्या वह प्रेजिडेंट नहीं बनेगा। जो भी व्यक्ति चुनकर आता है उस को आप प्रेजिडेंट बनने से डिबार नहीं कर सकते, सिर्फ इस लिए कि वह मैट्रिकुलेट नहीं है या हायर सेकेन्ड्री पास नहीं है। जो लोग चुने जाएंगे यह उनके साथ ज्यादती होगी कि उनको प्रेजिडेन्ट नहीं बनाया जाएगा। अगर इस तरह रक्खा जाएगा तो क्या होगा कि अगर कोई भी मैट्रिकुलेट या हायर सेकेन्ड्री नहीं होगा तो इस तरह का आदमी ढूंढा जायेगा और उसको कोआप्ट किया जायेगा क्योंकि आखिर किसी को प्रेजिडेन्ट तो बनाना ही है। मैं समझता हूं कि इस तरह की चीज इस बिल में न रखी जाये।"

मैं जनसंघ के नेताओं की बात नहीं दोहराता क्योंकि आज उन्होंने बहुत शराफत से काम लिया है।

(व्यवधान)

[श्री जैल सिंह]

एक आनरेबल मेम्बर ने यह कहा कि जो पहले बिल आया था वह गुरुद्वारा बोर्ड की मंशा के मुताबिक आया था और इस में सिख कम्यूनिटी से पूछना चाहिए था, पहले उन से पूछा गया था लेकिन अब पूछा नहीं गया। यह भी उन की गलतफहमी है जिसको मैं दूर करना चाहता हूं।

12 जून, 1976 को गुरुद्वारा बोर्ड ने एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास किया और वह हमको भेजा गया। वह हमारे रिकार्ड में है जिस में लिखा है :

"We feel that the above provision is undemocratic. It is dedundant and irrelevant, in view of the fact that in no other elected office in the country, such as even of the State Chief Minister, this clause is being specified. This clause requires deletion."

यह रेजोल्यूशन उनके बोर्ड की तरफ से आया था। पहले जो बोर्ड था 1971 में वह नामिनेटेड था लेकिन अब यह एलेक्टेड था। यह बात सही है कि जिस रोज रेजोल्यूशन पास किया गया....

SHRI MUKUNDA MANDAL (Mathurapur): Sir, it is now 3.30 p.m.

MR. DEPUTY SPEAKER: The Home Minister may continue on the next occassion. We have to take up the private Members' business. Before that. Mr. Venkatasubbiah to lay a paper on the Table.

1530 hrs.

PAPER LAID ON THE TABLE—*Contd.*

NOTIFICATION SUSPENDING CERTAIN PROVISIONS OF THE DELHI ADMINISTRATION ACT, 1966 FOR FURTHER SIX MONTH

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): I beg to lay on the Table a copy of Notification No. S.O. 197(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 20th March, 1981 containing President's Order dated the 20th March, 1981 issued under section 31 of the Delhi Administration Act, 1966 suspending certain provisions of the said Act for a further period of six months with effect from the 21st March, 1981. [*Placed in Library. See* No. LT-2149/81].

(*Interruptions*)

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: We want to register our protest. The elections are being postponed in Delhi again.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: No information is given. Nothing. What is this?

श्री रामावतार शास्त्री : आप को तो जल्दी चुनाव करवाने चाहिए थे।

श्री पी० वेंकटसुबैया : करवायेंगे।

PROF. MADHU DANDAVATE. What he has read out just now—is it a reply to what the hon. Member raised under Rule 377 in the morning Sir?